

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम (कवधी)

—:- आदेश —:-

आदेश क्र. 22/दो-11-6/2004

कबीरधाम, दिनांक 26.03.2018

प्रशासनिक/चयन समिति के अनुशंसा के आधार पर स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी) के पद की चयन सूची अनुमोदन उपरांत इस कार्यालय स्थापना पर रिक्त स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी) के पद पर चयनित उम्मीदवार को वेतन बेण्ड में वेतन ₹.5200-20200 ग्रेड वेतन ₹.2800 छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 के वेतन मेट्रिक्स के लेवल-7 + शेट्ठी वेतन आयोग के अनुशंसा के आधार पर एक विशेष वेतन वृद्धि में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त निम्नलिखित निर्धारित शर्तों के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है :—

क्र.	उम्मीदवार का नाम व पिता का नाम तथा निवास का पता	पदस्थापना स्थल
1	2	4
1	अरुण दास, पिता श्री मुन्नूदास, पता— द्वारा जुड़ावन दास, पुराना पावर हाऊस, बंधवा पारा, केवट पारा, सामुदायिक भवन के पास बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.)	कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम (कवधी)
2	लीना वर्मा, पिता श्री जयप्रकाश वर्मा, पता— द्वारा हरीश किराना स्टोर्स, मुकितधाम रोड, आजाद चौक, रामनगर, भिलाई, पो. सुपेला, जिला दुर्ग (छ.ग.) पिन 490023	कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम (कवधी)

निर्धारित शर्तें :—

- नव नियुक्त उम्मीदवार को आदेश प्राप्ति के 15 दिन के अंदर पदभार ग्रहण करना आवश्यक होगा।
- नव नियुक्त उम्मीदवार को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा मंडल, कबीरधाम से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही पदभार ग्रहण करना होगा। पदभार ग्रहण करते समय शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र तथा अन्य शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों की मूल एवं सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है, मूल प्रमाण पत्र को सत्यापन पश्चात लौटायी जावेगी।
- नव नियुक्त उम्मीदवार को यदि मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र में नियुक्ति के अनुपयुक्त पाये जाते हैं, तो उनका यह नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।
- नव नियुक्त उम्मीदवार को अनुप्रमाणक फार्म भरना अनिवार्य होगा। पुलिस प्रमाणीकरण अथवा सत्यापन में प्रतिकुल प्रतिवेदन प्राप्त होने की दशा में नियुक्ति आदेश को निरस्त किया जावेगा।

5. परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न होने पर परिवीक्षा अवधि आगे एक वर्ष तक और बढ़ायी जा सकेगी।
6. नव नियुक्त उम्मीदवार के परिवीक्षा अवधि में कार्य एवं व्यवहार तथा आचरण संतोषजनक न पाये जाने पर उनकी सेवाएं बिना कोई कारण बताये समाप्त कर दी जावेगी।
7. उनकी सेवाएं कभी-भी बिना कोई कारण बताए एक माह की पूर्व सूचना देकर अथवा एक माह के वेतन एवं भत्तों का भुगतान कर उन्हें तत्काल सेवामुक्त किया जा सकेगा।
8. यदि वे शासकीय सेवा छोड़ना चाहे तो उन्हें एक माह की पूर्व सूचना, इस कार्यालय को देनी होगी अथवा एक माह की कालावधि की सूचना के बदले एक माह के वेतन एवं भत्तों की राशि इस कार्यालय में जमा करना होगा।
9. नव नियुक्त उम्मीदवार अन्य सेवा के लिए आवेदन पत्र कार्यालय की अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे।
10. इस कार्यालय की अनुमति के बिना वे आगे उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकेंगे।
11. नव नियुक्त उम्मीदवार की नियुक्ति न्यायालय अथवा अनुविभाग में की जा सकती है।
12. नव नियुक्त उम्मीदवार जो अन्यत्र सेवारत है, वे उक्त विभाग/संस्था कार्यालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र अपने अन्य प्रमाण पत्रों के साथ प्रस्तुत करें।

(विनय कुमार कश्यप)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कबीरधाम (कवर्धा)

पृष्ठांकन क्र. 439 / दो-11-6/2004
प्रतिलिपि :-

कबीरधाम, दिनांक 26.03.2018

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
2. लेखापाल, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम (कवर्धा) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. अरुण दास, पिता श्री मुन्नूदास, पता- द्वारा जुड़ावन दास, पुराना पावर हाऊस, बंधवा पारा, केवट पारा, सामुदायिक भवन के पास बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.)
4. लीना वर्मा, पिता श्री जयप्रकाश वर्मा, पता- द्वारा हरीश किराना स्टोर्स, मुक्तिधाम रोड, आजाद चौक, रामनगर, भिलाई, पो. सुपेला, जिला दुर्ग (छ.ग.) पिन 490023
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।

(विनय कुमार कश्यप)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कबीरधाम (कवर्धा)